न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 74/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/189

अपीलान्ट

1. श्रीवणराम पुत्र कानाराम दत्तक पुत्र स्व. धन्नाराम जाति जाट
2. सन्तु पुत्री कानाराम जाति जाट सभी निवासी बेसरोली तहसी मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. तहसीलदार मकराना।
2. बालुराम पुत्र भागुराम जाति जाट निवासी बलुन्दा की ढाणी बेसरोली तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचमान।
3. भींयाराम पुत्र बिरमाराम
4. श्रवणराम पुत्र बिरमाराम
5. मोहनी पुत्री बिरमाराम
6. गेनी पुत्री बिरमाराम
7. पप्पूडी पुत्री बिरमाराम समस्त जाति जाट निवासी बीढवालियां तहसील परबतसर
8. नोजी देवी पत्नी नाथुराम जाति जाट निवासी लाडोली तहसील मकराना

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम म्यूटेशन अपील विरूद्ध तहसीलदार मकराना ने निर्णय दिनांक 07.02.2023 को म्यूटेशन क्रमांक 1065 विरासत के आधार पर स्वीकृत किया।

उपस्थितः–

1. श्री मुस्ताक खां व श्री छोटूराम वकील अपीलान्ट की ओर से
2. श्री बलजीत सिंह वकील रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 08 की ओर से

–: आदेश :–

दिनांकः 03.09.2024

अपीलान्ट की ओर से निम्न अपील पेश है किः–

1. ग्राम बेसरोली की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 43 रकबा 9.4373 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 54 रकबा 3.1970 हैक्टयर जमीन स्थित हैं। इस जमीन की खातेदारी लादूड़ी बेवा धन्नाराम 1/2 तथा कानाराम पुत्र धन्नाराम 1/2 चली आ रही थी। तहसीलदार मकराना ने बालुराम पुत्र [illegible] नाम म्यूटेशन खसरा नम्बर 43 में हिस्सा 200/583 हैक्टेयर [illegible] म्यूटेशन नम्बर 1065 विरासत के आधार पर मनमर्जी से बिना किसी अधिक[illegible] बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये किया गया है जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:53:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

2. खसरा नम्बर 43 में अपीलान्ट के पिता व पति कानाराम का नाम खतौनी में से नाम हटाया गया परन्तु अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जबकि नाम हटाने से पहले किसी सक्षम अधिकारी को कोई आदेश भी नहीं है। तहसीलदार ने मनमर्जी से कानाराम का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित किया है जो एक कानूनी भूल है।
3. अपीलान्ट के पिता व पति कानाराम ने म्यूटेशन नम्बर 235 दिनांक 27.07.1982 के विरूद्ध अपील श्रीमान् जिला कलेक्टर के समक्ष राजस्व अपील संख्या 95/87 पेश की थी। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 19.11.1987 को करके जिला कलेक्टर महोदय ने म्यूटेशन नम्बर 235 को निरस्त करके तहसीलदार परबतसर को पत्रावली रिमाण्ड की गई थी जिस पर तहसीलदार परबतसर ने मुकदमा नम्बर 08/83 विविध का निर्णय करके खसरा नम्बर 43 व 54 में 1/2 हिस्से का राजस्व रेकर्ड कानाराम पुत्र धन्नाराम के नाम किया जाने का आदेश दिया तथा उक्त आदेश की पालना में म्यूटेशन क्रमांक 304 दिनांक 21.06.2008 को स्वीकृत किया गया था। तहसीलदार परबतसर के निर्णय के विरूद्ध किसी ने भी कोई अपील, निगरानी व कार्यवाही नहीं की थी जिससे तहसीलदार का निर्णय अन्तिम हो चुका है फिर कानाराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाना वाक्याती व कानूनी भूल है।
4. बालुराम के उत्तराधिकारी होने का निर्णय करने का तहसीलसदार को कोई हक–अधिकार नहीं है फिर भी कानून के विपरीत जाकर विरासत म्यूटेशन करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है।
5. म्यूटेशन नम्बर 304 के विरूद्ध कोई अपील नहीं हुई है ऐसी स्थिति में तहसीलदार को खातेदारी में से कानाराम का नाम हटाने कोई हक–अधिकार नहीं था फिर भी कानून के विपरीत जाकर उक्त म्यूटेशन विरासत स्वीकृत करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है म्यूटेशन क्रमांक 1065 दिनांक 07.02.2023 निरस्त फरमाया जाकर 1/2 हिस्से की खातेदारी में कानाराम पुत्र धन्नाराम दर्ज कराने की कृपा करावें।

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में लिखे गये तथ्यों को ही दोहराया तथा नामान्तरकरण संख्या 1065 दिनांक 07.02.2023 को निरस्त कर 1/2 हिस्से की खातेदारी में कानाराम पुत्र धन्नाराम दर्ज करने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मोहनराम धन्नाराम का दत्तक पुत्र है जिसकों पजींबद्ध दस्तावेज से गोद लिया गया है। लादुडी की मृत्यू के पश्चात उसके जीवित वारिस मोहनराम (गोदपुत्र), धापूदेवी [illegible] के नाम नामान्तरकरण भरा गया है। कानाराम धन्नाराम का गोदपुत्र नहीं है बल्कि उसके प्राकृतिक पिता रूघाराम की मृत्यू के पश्चात रूघाराम की सम्पति में कानाराम का नाम दर्ज है। अतः अपीलार्थीगण की अपील [illegible] जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने विभिन्न न्यायालयों की निम्न नजीरे पेश की :–

1- State of Rsj. v/s Shanker & anr. – (284) RRD 343
2- Smt. Rukamani & ors. v/s Jangbaz Khan & anr. – (285)
3- Budh Dan v/s Bord of Revenue & ors. – (31)
4- Yadram v/s Ravindra Kumar & ors. 2016(1) RRT 296
5- Mukesh & ors. v/s Dev prakash & Anr. 20016(1) RRT 300

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी में अपीलांट द्वारा ग्राम बेसरोली के नामान्तरकरण संख्या 1065 दिनांक 07.02.2023 को अविधिकपूर्वक स्वीकृत किये जाना बताते हुए चुनौती दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1065 कर अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1065 दिनांक 07.02.2023 को खोला गया। उक्त नामान्तरकरण खातेदार लादुडी के जीवित वारिसान श्री मोहनराम (गोदपुत्र), धापूदेवी, नोजीदेवी के नाम पर स्वीकृत किया गया था।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार खातेदार लादुडी के नाम पर उक्त भूमि इनके पति धन्नाराम की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण सं0 235 जो कि दिनांक 27.07.1982 को स्वीकृत किया गया था। विचाराधीन नामान्तरकरण संख्या 1065 में मोहनराम गोदपुत्र मानते हुए नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया तथा इसके लिए अधीनस्थ न्यायालय ने गोदनामा दिनांक 10.09.1982 एवं अपंजीकृत वसीयत दिनांक 10.04.2009 को आधार बनाया है। उक्त पंजीकृत गोदनामें की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त लादुडी का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 15.02.2002 भी पत्रावली में उपलब्ध है। जिससे भी लादुडी द्वारा अपनी विवादित नामान्तरकरण में वर्णित भूमि को वसीयत से मोहनलाल के हक में की गई है।

अधिवक्त अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा मुकदमा संख्या 81 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2022 में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा श्री मोहनराम को मृतक लादुडी का विधिक वारिसान मानते हुए मोहनराम के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद स्वीकार किया।

यह एक निर्विवादित तथ्य है कि लादुडी, धन्नाराम की विवाहिता पत्नी थी। धन्नाराम के आराजी नम्बर 43 एवं 54 में खातेदार होने का तथ्य भी निर्विवादित है। नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 27.07.982 के द्वारा धन्नाराम की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजीयात लादुडी के नाम से आना भी निर्विवाद है। उक्त प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर मोहनराम का लादुडी का विधिक उत्तराधिकारी होने बाबत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मकराना का निर्णय विधि अनुसार उचित प्रतीत होता है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण को क्षेत्राधिकार में नहीं होना अंकित किया है। इस बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:53:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण एक विवादित नामान्तरकरण की श्रेणी में आता है तथा भू–राजस्व अधिनियम 135(2) के तहत विरासत के विवादित नामान्तरकरण को सुनवाई का श्रेत्राधिकार तहसीलदार को है एवं तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार अनुसार ही निर्णय किया है।

जहां तक कानाराम के स्व0 श्री धन्नाराम के दत्तक पुत्र होने का प्रश्न है अपीलंट द्वारा इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। धन्नाराम की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1982 से लादुडी के नाम पर धन्नाराम के एक मात्र वारिस के रूप में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना एवं 1982 से नामान्तरकरण स्वीकृत होने की दिनांक तक जमाबन्दी में लादुडी के नाम का अंकन होना भी अपीलांट के कथन को अप्रमाणित सिद्ध करता है।

उपखण्ड अधिकारी मकराना के यहां प्रस्तुत वाद सं0 164 / 82 की तनकी संख्या 01 में कानाराम के धन्नाराम का गोदपुत्र होने बाबत कायम की गई परन्तु उक्त वाद को कानाराम के वारिसान द्वारा दिनांक 22.04.2022 को जरिये विड्रोल खारीज करवा लिया एवं इसी वाद में काउन्टर क्लेम का निर्णय करते हुए उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा मोहनराम को लादुडी का विधिक उत्तरधिकारी स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में अपीलांट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत की गई हो इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1065 दिनांक 07.02.2023 को खातेदार लादुडी की मृत्यू के पश्चात उसके विधिक वारिश मोहनलाल (गोदपुत्र), धापूदेवी, नोजीदेवी के नाम स्वीकृत किया गया जो विधि अनुसार उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारीज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 03.09.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

19/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:53:12 IST
Reason: SelfAttested